(32)

F. No.- 94

(54)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

203/9, नबीउल्लाह रोड़, लखनऊ
फोन नं0-0522-2308502 ई मेल-lkomdm@gmail.com वेब साइट- www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/ C-2490 /2021-22 दिनांक 08-03-2022

सेवा में,

श्री बद्री नारायण,
निदेशक,
गोविन्द बल्लभ पंत,
सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज।

विषयः पी0एम0पोषण योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 की सोशल ऑडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 05.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त पत्र के माध्मय से प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में आप द्वारा पी0एम0पोषण योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सोशल ऑडिट किये जाने की सहमति दी गयी है।

आपके पत्र द्वारा दी गयी सहमति एवं आपसे हुई वार्तानुसार जनपद-प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चित्रकूट कुल-12 जनपदों के 02-02 विकास खण्ड के 20 विद्यालय कुल-240 विद्यालयों का सोशल ऑडिट कार्य कराये जाने हेतु आपको कार्यादेश दिया जाता है।

सोशल ऑडिट पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य दिशानिर्देश निम्नानुसार है:-

1. प्रत्येक विद्यालय के सोशल ऑडिट हेतु धनराशि रू0 5,794/- का भुगतान देय होगा।
2. सोशल ऑडिट हेतु अनुमन्य धनराशि का भुगतान सोशल ऑडिट कार्य पूर्ण करने तथा ऑडिट रिपोर्ट साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कापी में प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त देय होगा।
3. सोशल ऑडिट का कार्यादेश की तिथि से 03 माह के अन्तर्गत (90 दिवस) पूर्ण करना होगा।
4. सोशल ऑडिट का कार्य कार्यादेश के साथ संलग्न चेक लिस्ट एवं दिशानिर्देश के अनुसार पूर्ण किया जायेगा।
5. विकास खण्ड एवं विद्यालयों का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पन्न सोशल ऑडिट के विकास खण्ड का चयन वर्तमान में नहीं किया जायेगा।
6. सोशल ऑडिट कार्य किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर संस्था के नामित अधिकारी को 01 दिन के परिचर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण में सोशल ऑडिट की आवश्यकता, उद्देश्य एवं सोशल ऑडिट किये जाने के सम्बन्ध में संस्था के अधिकारी को मार्गदर्शन दिया जायेगा।
7. सोशल ऑडिट दल के सदस्य जनपद स्तर पर जिल बेसिक शिक्षा अधिकारी/समन्वयक, एम0डी0एम0 एवं विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

8. सोशल ऑडिट के दौरान पी0एम0 पोषण योजना के सभी घटक यथा--विद्यालय के अध्यापक, छात्र, रसोइया, विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य, अभिभावक, ग्राम प्रधान तथा विद्यालय से सम्बन्धित कोटेदार से सम्पर्क कर योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा उनके सुझाव को रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।
9. सोशल ऑडिट रिपोर्ट विद्यालय प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनका सुझाव प्राप्त कर रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।
10. सोशल ऑडिट में पी0एम0पोषण योजना का विद्यालय के छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन लाभार्थियों से साक्षात्कार कर किया जाना होगा।
11. संस्थान द्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु प्राधिकरण के साथ रू0 100/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध किया जायेगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

अतः भारत सरकार के अपेक्षानुसार आवंटित जनपद के विद्यालयों का सोशल ऑडिट कार्य संलग्न चेकलिस्ट एवं दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर ऑडिट रिपोर्ट मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उ0प्र0।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, चित्रकूट, वाराणसी एवं विंध्याचल।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उ0प्र0।
5. समस्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।

(अनामिका सिंह)
निदेशक